

प्रेषक,

कुमार राघवेन्द्र सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव एवं निदेशक,  
कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ,  
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ

लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये-64.34 (रूपये-चौंसठ लाख चौंतीस हजार मात्र), जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है, विशेष सचिव एवं निदेशक, कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मद का नाम	धनराशि (लाख रूपयों में)
01-वेतन	50.00
03-मंहगाई भत्ता	5.00
04-यात्रा व्यय	0.60
06-अन्य भत्ते	5.00
07-मानदेय	0.05
08-कार्यालय व्यय	0.40
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.05
42-अन्य व्यय	0.05
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.20
49-चिकित्सा व्यय	0.20
51-वर्दी व्यय	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.24
योग-	64.34 (रूपये-चौंसठ लाख चौंतीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र

से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो। जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक, "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-07-प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

कुमार राघवेन्द्र सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-1/5/2017(1)-का-प्रसको-2018, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नियुक्ति विभाग (लेखा) को 04 प्रतियों में।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
9. कार्मिक अनुभाग-3

आज्ञा से,

कुमार राघवेन्द्र सिंह  
संयुक्त सचिव